राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(47)एमई / ग्रुप–1 / 2012 जयपुर, दिनांक 2 DEC 2014

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(42)एम.ई / ग्रप–1 / 88 दिनांक 12.09.2012 के द्वारा डॉ0 विकास पालीवाल को सहायक आचार्य, नेत्र रोग के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए उनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज जोधपुर किया गया।

इस आदेश की अनुपालना में डॉ0 पालीवाल को आदेश जारी होन की दिनांक से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करनी थी। डॉ0 देव ने उक्त आदेशों की पालना में 05.10.2012 को कार्यभार ग्रहण किया।

डॉ0 पालीवाल 17.06.2013 से अनुपस्थित चल रहे है। डॉ0 पालीवाल द्वारा इस विभाग से किसी प्रकार का पत्राचार भी नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट विदित होता है कि डॉ0 पालीवाल कार्यग्रहण करने के इच्छुक नहीं है।

डॉ0 पालीवाल को इस विभाग के पत्र क्रमांक प.1(47)एम.ई. / ग्रुप–1 / 12 दिनांक 13.06.2014 को पत्र लिखकर एक सप्ताह में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा अन्यथा स्थिति में सेवा समाप्त करने की कार्रवाई बाबत् लिखा गया। प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज जोधपुर में भी उनके पत्र क्रमांक एफ / 2 / ई / एमसी / जेपू / 14 दिनांक 16.06.2014 को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण चाहा परन्तु डॉ0 पालीवाल द्वारा किसी प्रकार का उत्तर / स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

डॉ0 पालीवाल 17.06.2013 से निरन्तर स्वैच्छापूर्वक राज्य सेवा से अनुपस्थित रहकर राज्य सरकार व उच्चाधिकारियों द्वारा उन्हें कार्यग्रहण करने हेतु दिए गए आदेशों / निर्देशों की अवहेलना की है जो इस तथ्य का द्योतक है कि डॉ0 पालीवाल प्रोबेशन अवधि में संतोषजनक सेवाऐं देने में असफल रहे है।

अतः राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम 1962 के नियम 27 के उपनियम (1) के प्रावधानानुसार डॉ0 पालीवाल की सेवा एतद्द्वारा समाप्त की जाती है।

आदेश से,

(सम्पत मल लोढ़ा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. निजी सहायक, शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1 (42) एम.ई / ग्रुप—1 / 88 दिनांक 12.09.2012 के क्रम में।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
6. श्री पी.पी.तिवाड़ी, एपी. विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के लिए।
7. डॉ0 विकास पालीवाल, 11 / 283, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

(धन्नालाल)
शासन सहायक सचिव